


| तारिख<br>हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>F.S.S.Act Case No.85/2023  | नम्बर व तारिख<br>अहकाम जो इस<br>हुक्म की तामिल में<br>जारी हुए |
|----------------|--|--|
| 17.5.2023      | <p>पत्रावली आज पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी राज कुमार पुत्र हरपाल दास जेठानी, जाति- सिंधी, निवासी- कुटुम्ब कॉलोनी, माताजी मन्दिर के पास, शिवगंज, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मोहनदास गुरुदासमल, मैन मार्केट, सब्जी मण्डी, शिवगंज, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 25.3.2022 को फर्म मोहनदास गुरुदासमल, मैन मार्केट, सब्जी मण्डी, शिवगंज, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही में प्रतिवादी राज कुमार पुत्र हरपाल दास जेठानी, जाति- सिंधी, निवासी- कुटुम्ब कॉलोनी, माताजी मन्दिर के पास, शिवगंज, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ भैदा (हलवाई स्पेशल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1765 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./912/Act/2022/900 दिनांक 06.4.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 16.5.2023 को प्रतिवादी राज कुमार इस न्यायालय में उपस्थित हुआ। प्रतिवादी राज कुमार ने जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है एवं भविष्य में मिथ्याछाप खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करेगा, इसलिये कम से कम जुर्माना कर प्रकरण के निस्तारण करावे।</p> <p>हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 25.3.2022 को फर्म मोहनदास गुरुदासमल, मैन मार्केट, सब्जी मण्डी, शिवगंज, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता राज कुमार पुत्र हरपाल दास जेठानी, जाति- सिंधी, .....लगातार</p> |  |



प्रति, सिरोही  
सिरोही-307001

| <p>तारिख<br/>हुकम</p> | <p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br/>F.S.S.Act Case No.85/2023</p>   | <p>नम्बर व तारिख<br/>अहकाम जो इस<br/>हुकम कीतामिल में<br/>जारी हुए</p> |
|-----------------------|--|--|
|                       | <p>निवासी- कुटुम्ब कॉलोनी, माताजी मन्दिर के पास, शिवगंज, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही से दुकान के फर्श पर बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ मैदा (हलवाई स्पेशल ब्राण्ड) के एक 45 किलोग्राम के पैक्ड प्लास्टिक बैग को खोलकर उसमें से 2 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मैदा (हलवाई स्पेशल ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ मैदा (हलवाई स्पेशल ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1765 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./912/Act/2022/900 दिनांक 06.4.2022 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी राजकुमार ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मैदा (हलवाई स्पेशल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत प्रतिवादी राज कुमार पुत्र हरपाल दास जेठानी, जाति- सिंधी, निवासी- कुटुम्ब कॉलोनी, माताजी मन्दिर के पास, शिवगंज, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मोहनदास गुरुदासमल, मैन मार्केट, सब्जी मण्डी, शिवगंज, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। प्रतिवादी राज कुमार को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 7 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 15.6.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> <br/> <b>(के.आर.खोड)</b><br/> <b>अति० जिला मजिस्ट्रेट</b><br/> <b>सिरोही-307001</b> </p> |  |

